न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./69/2019/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. ओमप्रकाश पुत्र वालाराम 2. प्रभुराम पुत्र वालाराम 3. मगुदेवी पत्नी वालाराम 4. देवाराम पुत्र डुंगराराम 5. भेराराम पुत्र डुंगराराम 6. मिश्राराम पुत्र डुंगराराम 7. भोमाराम पुत्र डुंगराराम 8. धुड़ी पत्नी डुंगराराम 9. अर्जुन पुत्र जोगाराम 10. तुलछीदेवी पत्नी जोगाराम 11. मगाराम पुत्र करनाराम 12. पूरो पत्नी करनाराम 13. खीया पुत्र हरदान 14. हुकमाराम पुत्र हरदान 15. पना पुत्र रेखा 16. माला पुत्र उदा 17. झीमों पत्नी लालाराम 18. गंगा पुत्र वेहना उम्र 61 जाति जाट निवासी जीवाणियों की ढाणी ग्राम पंचायत बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. पहाड़सिंह पुत्र भमरा 2. प्रबतसिंह पुत्र भमरा 3. हडमतसिंह पुत्र भमरा 4. सुरसिंह पुत्र भमरा 5. जालमसिंह पुत्र भमरा 6. मामता पुत्र उका का.मु. 6/1हड़मतसिंह पुत्र मामता 6/2दुर्गसिंह पुत्र मामता 6/3मकनसिंह पुत्र मामता 6/4मोडसिंह पुत्र मामता 6/5लाधूसिंह पुत्र मामता 6/6रेशमी कंवर पत्नी मामता जाति राजपूत निवासी जिवाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 66/2018 बअनवान पहाड़सिंह वगै. बनाम देवा वगै. में पारित आदेश दिनांक 02.09.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेण्टस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—17.10.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 द्वारा अधीनस्थ अदालत के समक्ष अंतर्गत धारा 251ए रा.का.अधि. के तहत प्रार्थना—पत्र पेश कर खातेदारी का खेत खसरा नं. 682 रकबा 34.01 बीघा सरहद मौजा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जीवाणियों की ढाणी पटवार मण्डल बारासण तहसील गुड़ामालानी में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अपीलांट 01 से 18 के खातेदारी खेत खसरा नं. 680 में से रास्ता दिलाये जाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटगण के खेत को दो भागों विभक्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत किया गया है। अपीलांटगण का खेत किसी भी राजकीय कटाण मार्ग से जुडा हुआ नहीं होने के उपरांत भी अपीलांटगण के खेत में से रास्ता स्वीकृत कर दिया गया है। अपीलांटगण के खेत में से नर्मदा नहर चलती है, नर्मदा नहर से रेस्पोडेंटस के खेत को जोड़ा गया है जबकि 251क के तहत कटाण मार्ग या सड़क से जोड़ने का प्रावधान है, नहर से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है अपीलांटगण के खेत में से चल रही नहर पर किसी प्रकार की ग्रेवल सड़क नहीं बनी हुई है तथा न ही आवागमन हो रहा है इसके उपरान्त भी नहर से रास्ता स्वीकृत कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने हस्तगत आवेदन में अपीलांटगण की बहस नहीं सुनी सिर्फ कागजी कार्यवाही पूरी कर एकतरफा झुकाव रखते हुऐ आदेश पारित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश के तहत स्वीकृत किये गये रास्ते की भूमि मौके पर खाली नहीं होकर रहवासी ढाणी बनी हुई है जिसको ध्वस्त कर रास्ता चालु किया जाना सम्भव नहीं है। हाजा न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जो मौका फर्द दिनांक 04.08.2022 में खसरा संख्या 683 व 684 में बिन्दु संख्या KLMNO प्रस्तावित किया गया जो अपीलांट की पैतृक भूमि है जो दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए जो रास्ता प्रस्तावित किया गया उसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया उक्त मौका फर्द को तैयार करते वक्त अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस व्यक्तिगत तामील नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलंटस की खातेदारी भूमि को दो भागों में विभक्त किया गया जो न्यायोचित नहीं है। हाजा न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जो तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक भू.अ./2022/1428 दिनांक 22.08.2022 (संलग्न मौका फर्द दिनांक 04.08.2022) में रास्ते के विकल्प बताये गये जिनके ध्यान में रखते हुए हस्तगत प्रकरण निस्तारण किया जाना न्यायोचित होगा। इस पूर्व प्रदत्त रास्ते तक पहुंच हेतु प्रार्थी को न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकेगा। राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 251ए किसी खातेदार की जोत में अनावश्यक रास्ता प्रस्तावित कर असुविधा पैदा करने की अनुमति नहीं देता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 66/2018

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बडानवान पहाड़सिंह वगै. बनाम देवा वगै. में पारित आदेश दिनांक 02.09.2019 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक भू.अ./2022/1428 दिनांक 22.08.2022 (संलग्न मौका फर्द दिनांक 04.08.2022) में वर्णित खसरा संख्या 684 व 683 के खातेदारों को हस्तगत प्रकरण में पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाकर रास्ते के उपलब्ध समस्त विकल्पों का अवलोकन करते हुए बाद समुचित सुनवाई एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 की धारा 251 ए को प्रभाव देने के लिये बनाये गये नियम 69 एवं 70 की पूर्णतया पालना करते हुये गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाई गई उसको आगामी आदेश में समायोजित किया जावे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.12.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रविण्सा लिम्बानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर